



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 08.05.2025

विषय:-दहेज हत्या में वांछित 25 हजार ईनामिया अपराधी अमृतलाल थाना रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान आपरेशन चक्रव्यूह के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक रामनगर के नेतृत्व में थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 0067/2025 धारा 80(2)/85 बी0एन0एस0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित ईनामिया अभियुक्त अमृतलाल पुत्र स्व0 हरखू निवासी सुल्तानपुर थाना रामनगर वाराणसी जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा गिरफ्तारी का अधिपत्र जारी गया है। जघन्य अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त अमृतलाल उपरोक्त पर 25000(25 हजार) रुपये का ईनाम घोषित किया गया। रामनगर पुलिस द्वारा उक्त ईनामिया वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दिया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 08.05.2025 को ज्ञात हुआ कि ईनामिया अपराधी अपने ससुराल कैथापुर मुगलसराय में गिरफ्तारी से बचने हेतु छिपा है। सूचना पर रामनगर पुलिस टीम मौके पर पहुंचाकर योजनाबद्ध तरीके से ईनामिया अपराधी अमृतलाल को उसके अपराध से बोध कराते हुए गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक- 08.05.2025, स्थान- कैथापुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

अभियुक्त का विवरण-

1. अमृतलाल पुत्र स्व0 हरखू निवासी सुल्तानपुर थाना रामनगर वाराणसी उम्र 55 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 10/04/2025 को वादी मुकदमा ने सूचना दिया कि मेरी पुत्री की तबियत खराब है। सूचना पर जब मैं और मेरी पत्नी अपने लड़की के ससुराल आये तो देखा कि मेरी पुत्री का शव घर के बाहर रखा है। वादी मुकदमा ने लिखित तहरीर दिया कि मेरी पुत्री के ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। वादी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0067/2025 धारा 80(2)/85 बी0एन0एस0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट पंजीकृत हुआ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजू सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री अमीर बहादुर सिंह चौकी प्रभारी कस्बा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 श्री पंकज कुमार मिश्रा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. उ0नि0 श्री अंशू पाण्डेय थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
5. हे0का0 रविन्द्र सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
6. का0 अश्वनी कुमार सर्विलांस सेल कमिश्नरेट वाराणसी।
7. का0 शैलेन्द्र कुमार थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
8. का0 प्रभाकर राव थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
9. का0 गौरव भारती थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट-वाराणसी